

प्रेषक,  
राजेन्द्र सिंह,  
अपर सचिव  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,  
निदेशक,  
सगन्ध पौधा केन्द्र  
सेलाकुई, देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 10 जनवरी, 2020

विषय:-सगन्ध पौधा केन्द्र सेलाकुई में परफ्यूमरी, कॉस्मैटिक, प्लान्ट साइन्स, माइक्रो बायोलॉजी एवं सेल कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-502/कैप/2019-20 दिनांक 24.07.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो सगन्ध पौधा केन्द्र सेलाकुई में परफ्यूमरी, कॉस्मेटिक, प्लान्ट साइन्स, माइक्रो बायोलॉजी एवं सेल कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना के कार्यों से सम्बन्धित प्राक्लन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में है। तत्कम मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सगन्ध पौधा केन्द्र सेलाकुई में परफ्यूमरी, कॉस्मेटिक, प्लान्ट साइन्स, माइक्रो बायोलॉजी एवं सेल कल्चर प्रयोगशालाओं के सिविल इलैक्ट्रीकल, मैकेनिकल, एयर कंडीसनिंग, फर्नीचर एवं फिक्चर आदि कार्यों को कराये जाने हेतु कार्यदाय संस्था "उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम देहरादून" द्वारा प्रस्तुत ₹499.56 लाख(निर्माण कार्य ₹00.00 लाख तथा अधिप्राप्ति के अन्तर्गत ₹499.56 लाख) के प्राक्लन का विभागीय टी.ए.सी उपरान्त ₹499.56 लाख(रूपये चार करोड़ निम्नान्चे लाख छप्पन हजार मात्र) की धनराशि पर वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सह प्रदान करते हैं:-

- 1- धनराशि का व्यय उसी निमित्त किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृति प्रदान की जा रही है। व्यय करते समय "प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2017" तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- धनराशि का व्यय अनुमोदित लागत तक ही रखा जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा।
- 3- कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल आफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हैं, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
- 4- कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। बिन ऐसी स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।
- 5- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- 6- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद से दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

- 7- निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम.ओ.यू. अवश्य हस्ताक्षरित किया जायेगा। कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 8- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाये जाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला में टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।
- 9- विस्तृत आगणन में प्रावधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 10- स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन(केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
- 11- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म, 119-बागवानी एवं सब्जियों की फसलें, 26-सगन्ध पौधा केन्द्र को अनुदान एवं सगन्ध पौधों के कलस्टर विकास योजना के मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता मद के नामे डाला जायेगा।
- 12- योजना हेतु एकमुश्त धनराशि व्यय न करते हुए 40:40:20 के अनुपात में व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 13- यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या-64/XXVII(4)/2019, दिनांक: 17 अक्टूबर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)  
अपर सचिव

संख्या- 09 (1)/xvi-2/20/19(16)/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
- 2- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
- 4- परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम देहरादून।
- 5- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विकास कुमार श्रीवास्तव)  
अनु सचिव